सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" अथवा "कंपनी") (सीआईएनः एल40101डीएल1969जीओआई005095) की बावनवीं (52वीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) निम्नलिखित कार्य निष्पादन के लिए दिनांक **24 सितंबर, 2021, शुक्रवार को पूर्वाह्न 11.00** बजे भारतीय समयानुसार (आईएसटी), वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगीः

साधारण कार्य

मद संख्या 1: निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष का कंपनी का लेखापरीक्षित स्टैंडओलन और समेकित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार करना, उन्हें अनुमोदित करना और अंगीकृत करना।

मद संख्या 2: वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

मद संख्या 3: श्री प्रवीण कुमार सिंह (डीआईएनः 03548218) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण उन्होंने अपनी पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

मद संख्या 4: वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्य

मद संख्या 5: प्रतिभूतियों के प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:–

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हैं, और उसके तहत बनाई गई नियमावली (किसी अन्य सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा फिलहाल लागू उसके पुनः अधिनियमन सहित) और सेबी (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के इश्यू तथा सूचियन) विनियमावली, 2021 और उसके अन्य कोई संशोधन और अन्य लागू सेबी विनियमों और समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों/निर्देशों/दिशा–निर्देशों सहित किन्हीं अन्य लागू कानूनों, कंपनी के मैमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों तथा यथालागू आवश्यक अनुमोदनों और उन अन्य अनुमोदनों, अनुमतियों और स्वीकृतियों के अनुसार, जो भी आवश्यक हों, किसी अन्य विद्यमान उधारदाता/डिबेंचरधारकों के न्यासियों के अनुमोदन सहित, आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अध्यधीन, करार/विलेख की शर्तों के तहत, यदि वह अपेक्षित हों तथा ऐसे अनुमोदन, अनुमतियों और स्वीकृतियों जिसे कंपनी के निदेशक बोर्ड (बोर्ड) अथवा बोर्ड की विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी के आवश्यक अनुमोदनों की प्राप्ति के अधीन, कंपनी की सहमति एतदद्वारा उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को एक अथवा अधिक भागों में इस संकल्प के पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान 85,000 करोड़ रुपये तक प्रतिभूतिरहित/प्रतिभूति सहित गैर–परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों को निजी क्षेत्र में रखने के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए प्रदान की जाती हैं जो कंपनी के बांड/डिबेंचरधारक हों अथवा न हों, जैसा कि बोर्ड (अथवा बोर्ड की विधिवत गठित कोई समिति अथवा अन्य प्राधिकारी, जैसा भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाए) अपने पूर्ण निर्देश पर निर्णय ले जिनमें पात्र निवेशक (आवासी और/अथवा गैर–आवासी और/अथवा संस्थायें/निगमित निकाय और/अथवा अलग–अलग व्यक्ति और/अथवा न्यासी और/अथवा बैंक अथवा अन्यथा, घरेलू और/अथवा एक या अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में) गैर–आवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), उद्यम पूंजी निधियां, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधियां, पेंशन निधियां, विकास वित्तीय संस्थाएं, निगम निकाय, कंपनियां, निजी अथवा सार्वजनिक अथवा अन्य कंपनियां, प्राधिकारी शामिल हैं और उन अन्य व्यक्तियों को एक या अधिक भागों में प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से उनके एक या अधिक संयोजनों में तथा ग्रीन शो विकल्प का प्रयोग करने से (ऊपर उल्लेख किए गए अनुसार 85,000 करोड़ रुपये की समग्र सीमा के भीतर), यदि कोई है, यथालागू दिशा–निर्देशों के तहत निर्धारित की जाने वाली उन शर्तों पर तथा बोर्ड अथवा बोर्ड की किसी अन्य विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिए गए ऐसे शर्तों एवं निबंधनों पर निधियां जाने की एतदद्वारा स्वीकृति दी जाती है।"

"**संकल्प किया जाता है कि** प्रतिभूति रहित/प्रतिभूति सहित गैर–परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों के किसी प्राइवेट प्लेसमेंट को प्रभाव देने के प्रयोजन के लिए कंपनी का निदेशक बोर्ड (बोर्ड) अथवा बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे प्राधिकारी को एतदद्वारा उन निवेशकों की श्रेणी सहित इश्यू के निबंधन निर्धारित करने, जिनको बांड/डिबेंचर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित किए जाने वाले बांडों/डिबेंचरों की संख्या इश्यू की कीमत, टेनर, ब्याज दर, किश्त/उस समय विद्यमान बाजार कीमत में छूट, इश्यू की राशि, बांड/डिबेंचरधारकों की श्रेणी को इश्यू की कीमत में छूट, सूचीयन, प्राइवेट प्लेसमेंट पेशकश पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित घोषणा/वचनबद्धता आदि जारी करने और ऐसे सभी कार्य/विलेख और बातें, जो उस समय लागू किसी अन्य विनियामक अपेक्षा के तहत अपेक्षित हों, करने तथा निष्पादित करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

मद संख्या 6: कंपनी के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड में परिवर्तन।

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें संशोधन (संशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:–

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के प्रावधानों और उसके तहत बनाई गई नियमावली (किसी भी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) अथवा उसके पुनः अधिनियमन सहित, कुछ समय के लिए लागू) और किसी भी समय लागू कानून

और इस तरह के अन्य अनुमोदन, अनुमति और प्रतिबंध, जो भी आवश्यक हो, के अनुसरण में अनुमोदन किया जाता है और नीचे दिए गए अनुसार आरईसी लिमिटेड के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड (खंड–III) में परिवर्तन, प्रतिस्थापन, समेकन और परिवर्धन के लिए दिया जाता है।

(क) कंपनी के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड के खंड III(क) का शीर्षक उन खण्डों के रूप में फिर से नामित किया जाए **'जिन उद्धेश्यों के लिए कंपनी की स्थापना की गई है, वे हैं:'**

(ख) कंपनी के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड के खंड III(क) के मौजूदा उप–खंडों को निम्नलिखित उप–खंडों द्वारा बदल दिया जाए और पूरी तरह से प्रतिस्थापित किया जाए:–

(1) देश में विद्युत से संबंधित अवसंरचना के संवर्धन और विकास के लिए सरकारी योजनाओं को लागू करना।

(2) आरईसी की वस्तुओं से जुड़ी किसी भी परियोजना, गतिविधि अथवा कार्य पर अध्ययन, सर्वेक्षण, जांच, अनुसंधान को निधि देना अथवा करना और परामर्श, प्रशिक्षण सहित कोई भी गतिविधि करना और कंपनी के व्यापारिक हित में किसी भी कंपनी आदि को धनराशि देना/संवर्धित करना।

(3) नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से विद्युत सहित किसी भी तरह की विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण अथवा आपूर्ति से संबंधित परियोजनाओं, गतिविधियों अथवा निर्माण, उन्नयन, नवीनीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, वृद्धि आदि के कार्यों को निष्पादित करना।

(4) नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से विद्युत सहित किसी भी तरह की विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण अथवा आपूर्ति से संबंधित परिसंपत्तियों के निर्माण, उन्नयन, नवीनीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, वृद्धि आदि की परियोजनाओं, गतिविधियों या कार्यों का वित्तपोषण करना।

(5) इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल/हाइड्रो सिस्टम, एकल अथवा उन बड़ी परियोजनाओं के भाग, जो सिंचाई, स्मार्ट सिटी, रेलवे लाइन के विद्युतीकरण, हवाई अड्डे आदि को उठाने की परियोजनाओं सहित, परन्तु उन तक सीमित नहीं, के निर्माण, उन्नयन, नवीनीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, वृद्धि आदि के लिए विद्युतीकरण कार्यों सहित परियोजनाओं, गतिविधियों या कार्यों का वित्तपोषण करना।

(6) सह–उत्पादन/त्रि–उत्पादन/संयुक्त ताप और विद्युत, अपशिष्ट ताप वसूली प्रणाली (प्रणालियों), ई–मोबिलिटी और संबद्ध अवसंरचना सहित विद्युत के ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय पहलुओं के लिए परियोजनाओं, क्रियाकलापों, योजनाओं का वित्तपोषण करना।

(7) नवीकरणीय ऊर्जा और संबद्ध क्षेत्रों सहित विद्युत क्षेत्र में आवश्यक पूंजीगत उपस्करों के विनिर्माण/आपूर्ति के लिए यूनिटों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, प्रचालन और रखरखाव के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण करना।

(8) विद्युत क्षेत्र के लिए ईंधन अथवा अन्य ईंधन आपूर्ति व्यवस्थाओं के रूप में प्रयोग के लिए कोयले और अन्य खनन गतिविधियों के विकास सहित, लेकिन उन्हीं तक सीमित नहीं, विद्युत परियोजनाओं के साथ अग्रवर्ती और/अथवा पिछड़े लिंकेज वाले क्रियाकलापों का वित्तपोषण करना, रेलवे लाइन बिछाने, सड़कें, पुल, बंदरगाह, जेटी, हार्बर, हवाई अड्डे, गैस पाइपलाइन, गैस टर्मिनल के क्रियाकलापों का वित्तपोषण करना और उन अन्य सक्षमकारक अवसंरचना सुविधाओं को पूरा करने के लिए वित्तपोषण करना, जो विद्युत/ऊर्जा क्षेत्र के तेजी से और प्रभावी विकास के लिए अपेक्षित हों।

(ग) कंपनी के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड के खंड–III(ग) के मौजूदा उप–खंड संख्या (1) और (2) में बिना किसी परिवर्तन के उप–खंड संख्या (27) और (28) खंड III(ख) के रूप में मिला और आमेलित की जाए जिसका शीर्षक अब **'कार्यों को आगे बढ़ाने में आवश्यक माने गए मामले:–'** होगा।

(घ) कंपनी के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड के खंड–III(ख) के उप–खंड (1) को परिवर्तित किया जाए और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए:–

(1) कंपनी के प्रयोजनों के लिए, किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा सरकार/प्राधिकरण से वाणिज्यिक ऋण, आधिकारिक विकास सहायता ऋण अथवा विदेशी ऋण सहित अथवा बांड/डिबेंचर जारी करके अथवा अन्यथा उस तरीके से जैसे कंपनी उपयुक्त समझे, भारत में अथवा किसी अन्य देश में विदेशी मुद्रा उधार लेना/प्राप्त करना।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक बोर्ड (बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी सहित) को इस संबंध में उपर्युक्त संकल्प को कार्यान्वित करने के लिए यथावश्यक रूप में सभी ऐसे कार्यों, विलेखों और वस्तुओं को निष्पादित करने के लिए एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते आरईसी लिमिटेड

जे. एस. अमिताभ

कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव

स्थान : कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003

दिनांक : 27 अगस्त, 2021

टिप्पणियां

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसरण में, सूचना की मद क्रम सं. 5 से 6 के तहत कारोबार के संबंध में उल्लिखित वास्तविक तथ्यों के लिए स्पष्टीकरण विवरण इसके साथ संलग्न है। कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 5 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में यह विचार किया था कि सूचना के क्रम सं. 5 से 6 पर विशेष कारोबार की मदें अपरिहार्य प्रकृति की हैं जिन पर कंपनी की 52वीं वार्षिक आम सभा में कार्य किया जाएगा।

2. कोविड–19 महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन किया जाता है और देश में कई स्थानों पर व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी हैं तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 13 जनवरी, 2021 के परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 5 मई, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 8 अप्रैल, 2020 ("एमसीए परिपत्र") और सेबी के दिनांक 15 जनवरी, 2021 के परिपत्र के साथ पठित दिनांक 12 मई, 2020 के परिपत्र के अनुसरण में तथा अधिनियम के प्रावधानों और सेबी (सूचियन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ["सेबी (एलओडीआर) विनियम"] के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए आयोजित की जा रही है। 52वीं एजीएम बैठक का माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

3. एमसीए परिपत्रों की शर्तों, एजीएम में सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति और प्रॉक्सी की नियुक्ति की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है। तद्नुसार, उपस्थिति पर्ची, प्रॉक्सी फार्म और रूट मैप इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं। तथापि, अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के जरिए वोट देने, 52वीं एजीएम में वीसी/ओएमवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग को लिए की जाएगी।

4. 52वीं एजीएम में वीसी/ओएमवीए सुविधा के लिए भाग लेने में सदस्यों की भागीदारी की उपस्थिति अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के प्रयोजन से गिनी जाएगी।

5. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी के परिपत्र के अनुसार 52वीं एजीएम का नोटिस व वार्षिक रिपोर्ट ऐसे सभी सदस्यों को ई–मेल के जरिए भेजा जा रहे हैं, जिनके ई–मेल पते कंपनी के पास दर्ज हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर तथा साथ ही नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

   कंपनी के शेयरधारकों को प्रोत्साहित करने, भौतिक और इलैक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उनके ई–मेल पते दर्ज करने/अद्यतन करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया था। इसके अलावा, कंपनी ने शेयरधारकों के मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी भेजे थे, जो ई–मेल पते अद्यतन करने के लिए संबंधित डिपॉजिटरी के पास दर्ज थे।

   ऐसे शेयरधारक, जो अभी भी अपने ई–मेल पते अद्यतन नहीं कर पाए हैं, उन्हें इस सूचना में दिए गए संकल्पों पर ई–मेल पते दर्ज कराने और ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा:

   - यदि शेयरों को डीमैट फॉर्म में रखा गया है तो कृपया डीपी आईडी क्लाइंट आईडी (16 डिजिटल का डीपी. क्लाइंट आईडी अथवा 16 डिजिटल का लाभार्थी आईडी), धारक के नाम का उल्लेख करते हुए complianceofficer@recl.in पर ई–मेल भेजें, साथ में क्लाइंट मास्टर लिस्ट/डीमैट एकाउंट स्टेटमेंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति भेजें।
   - यदि शेयरों को भौतिक रूप में रखा गया है तो कृपया फोलियो नं., नाम का उल्लेख करते हुए शेयर प्रमाण–पत्रों (सामने और पीछे की ओर से), पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्कैन की गई प्रति complianceofficer@recl.in पर ई–मेल के माध्यम से भेजें।

6. कंपनी के सभी सदस्यों व संस्थागत निवेशकों को एजीएम में भाग लेने और एजीएम में भाग लेने और एजीएम में कार्य के लिए मदों पर वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रति/जांचकर्ता को अधिकृत करने का पत्र scrutinizer.recl@gmail.com पर ई–मेल के माध्यम से भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजें।

7. कंपनी में 52वीं एजीएम में किए जाने वाले कार्यों की मदों के संबंध में वोट देने के लिए पात्रता को निर्धारण के लिए कट ऑफ डेट **17 सितंबर, 2021,** शुक्रवार निर्धारित की है।

   कोई व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और सूचना देकर कंपनी का सदस्य बनता है और निर्धारित तारीख को शेयर धारित करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर लॉग–इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है। तथापि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पंजीकृत है तो वोट करने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। कोई शेयरधारक, अपनी शेयरधारिता इस प्रकार दर्शाता है कि वह निर्धारित तारीख की स्थिति के अनुसार एक सदस्य नहीं है, तो वह इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझे।

8. सीएस हेमंत कुमार सिंह (एफसीएस नंबर 6033), या उनकी अनुपस्थिति में, सीएस शिंजिनी मुखर्जी (एसीएस नंबर 65425) हेमंत सिंह से और एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, को 52वीं एजीएम में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करने के लिए मदों के संबंध में शेयरधारकों द्वारा दिए गए वोटों को जांचने के लिए एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

9. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम संख्या 44 और आईसीएसआई द्वारा जारी आम बैठकों के संबंध में सचिवालयी मानकों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी शेयरधारकों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वो सूचना में उल्लिखित मदों पर इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपना मत दे सकें। ऐसे शेयरधारक, जो रिमोट ई–वोटिंग के जरिए अपना मत नहीं देते, वे एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए अपना मत दे सकते हैं।

एनएसडीएल ई–वोटिंग की सुविधा, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से 52वीं एजीएम में भागीदारी और 52वीं एमजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के जरिए वोटिंग के लिए सुविधा प्रदान करेगा। रिमोट ई–वोटिंग की अवधि **21 सितंबर, 2021, मंगलवार (10:00 बजे) को शुरू होगी और दिनांक 23 सितंबर, 2021, गुरूवार (17.00 बजे) को समाप्त होगी।** एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को इसके बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

सदस्य 52वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग ले सकते हैं, जिसे सदस्यों के लिए **24 सितंबर, 2021,** शुक्रवार को भारतीय समयानुसार पूर्वाह्न 10:45 बजे अर्थात शुरू होने से निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व खोला जाएगा और कंपनी द्वारा एजीएम की तारीख को शुरू होने के निर्धारित समय अर्थात पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद 30 मिनट वीसी/ओएवीएम सुविधा लेने के लिए विंडो को बंद किया जाएगा।

कृपया ई–वोटिंग, 52वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए विस्तृत अनुदेश देखें, जो इस सूचना के साथ संलग्न हैं।

10. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के साथ पठित कंपनी के संगम अनुच्छेद 114 के अनुसरण में और उसके तहत बनाए गए समय–समय पर संशोधित नियम, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान दो बार अंतरिम लाभांश का भुगतान किया अर्थात 3 दिसंबर, 2020 को प्रति इक्विटी शेयर ₹6/– की राशि और 30 मार्च, 2021 को ₹5/– प्रति इक्विटी शेयर।

लाभांश आय शेयरधारकों के पास अबकर योग्य हैऔर कंपनी को आय कर अधिनियम, 1961 ("आईटी अधिनियम") में निर्धारित दरों पर सदस्यों को लाभांश से स्रोत पर कटौती ("टीडीएस) अपेक्षित है। भविष्य में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में टीडीएस की आवश्यकता के साथ अनुपालना करने के लिए, सदस्यों को वार्षिक आधार पर 15जी/15एच फॉर्म प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है और पैन, आय कर अधिनियम के अनुसार श्रेणी के विवरण अपने डिपॉजिटरी भागीदारों के पास अथवा वास्तविक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में, कंपनी/आरएंडटीए के पास अद्यतन करने होंगे ताकि स्रोत पर कर, यदि कोई हो, तो भविष्य में कंपनी द्वारा किए गए लाभांश के भुगतानों के संबंध में लागू दरों पर कटौती की जा सके।

11. पुनः नियुक्ति की मांग के लिए निर्देशक (निर्देशकों) का संक्षिप्त बायोडाटा, जैसा कि सेबी के विनियमन 36 के तहत आवश्यक है (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 {सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015} इसके साथ संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार एक आम बैठक में अथवा एक आम बैठक में कंपनी द्वारा निर्धारित तरीके से कंपनी द्वारा उनका पारिश्रमिक निर्धारित किया जाएगा।

कंपनी की 51वीं एजीएम में, जो दिनांक 25 सितम्बर, 2020 को आयोजित की गई थी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के साथ पठित धारा 142 के अनुसरण में, वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक, लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों पर निर्धारित करने और अनुमोदित करने के लिए शेयरधारकों द्वारा निदेशक मंडल को अधिकृत किया गया था। तदनुसार, निदेशक मंडल ने 44,00,000 रुपये (चौवालिस लाख रुपए मात्र) लागू कर का पारिश्रमिक भुगतान करने का अनुमोदन किया जिसे सांविधिक लेखापरीक्षकों अर्थात मैसर्स ओ. पी. बाग्ला एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बराबर वितरित किया जाना था। बोर्ड ने यह भी अनुमोदित किया कि उपरोक्त पारिश्रमिक के अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों को वास्तविक तर्कसंगत यात्रा भत्ते और आउटस्टेशन लेखापरीक्षा कार्य के लिए आउट ऑफ पॉकेट व्यय का भुगतान किया जाएगा, जो सीएमडी/निदेशक (वित्त) द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति अभी भारत के भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा की जानी है। इसके अलावा सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए उपयुक्त पाए जाने पर कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करने का अनुरोध किया गया है।

13. सेबी सभी शेयरधारकों को डीमैट स्वरूप में अपने शेयर रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इससे वास्तविक शेयर प्रमाण पत्रों की क्षति/खोने और धोखाधड़ी के मामलों की संभावना समाप्तहो जाती है तथा इससे शेयरों का पेपरलेस व्यापार आसान तथा सुविधाजनक बन जाता है। इसके अतिरिक्त, डीमैट स्वरूप में धारित शेयरों के अंतरण पर कोई स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं है। यह उल्लेख करना भी व्यावहारिक है कि 01 अप्रैल, 2019 से सेबी ने निर्धारित किया है कि प्रतिभूतियों का अंतरण करने के अनुरोधों (पारेषण अथवा दूसरी जगह देने के मामलों को छोड़कर) पर तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी जबतक प्रतिभूतियां जमाकर्ता के पास डीमैट स्वरूप में धारित न हों। तदनुसार, हमारा आपसे अनुरोध है किअपनी शेयरधारिता को वास्तविक स्वरूप से मौजूदा डीमैट खाते में अथवा किसी भी प्रतिभागी जमाकर्ता (डीपी) के साथ खोलेजाने वाले नए डीमैट खाते में शीघ्र ही डीमैट स्वरूप में परिवर्तित करें।

14. भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयरों के ट्रांसमिशन, स्थानांतरण, सब–डिवीजन, समेकन से संबंधित

या किसी अन्य से संबंधित मामले और/अथवा पते एवं बैंक खाते में परिवर्तन के बारे में समस्त पत्रा चार आरएंडटीए कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटर शेयर लिमिटेड को भेजें तथा इलेक्ट्रॉनिक विधि से शेयरधारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे समस्त पत्रा चार अपने संबंधित निक्षेपागार भागीदार को भेजें।

15. चूंकि सेबी ने निवेशकों के लिए नकद भुगतान करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम का उपयोग किया है, इसलिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (एनईसीएस)/राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)/सीधे जमा करने के आदेश अथवा उनमें परिवर्तन प्रस्तुत करें ताकि कंपनी एनईसीएस/एनईएफटी/सीधे जमा करने/वारंट के माध्यम से लाभांश का भुगतान कर सके। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म आरएंडटीए को **केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लि., यूनिटः आरईसी लि., सेलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31–32, गाचीबॉली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032,** भारत के पते पर भेज सकते हैं, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इलैक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों को रखने वाले शेयरधारकों के मामले में, वे एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म सीधे उनके जमाकर्ता भागीदार (डीपी) को भेज सकते हैं जिन्होंने पहले ही एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट आदेश फॉर्म पूरे ब्यौरों के साथ कंपनी/आरएंडटीए/डीपी को भेज दिए हैं।

16. ऐसे सदस्य, जिन्होंने अपने लाभांश वारंट इसकी वैधता अवधि के भीतर प्राप्त हुए हैं/नकदीकरण नहीं कराया है, वे कंपनी को इसके पंजीकृत कार्यालय में अथवा कंपनी के आरएंडटीए को वारंट को पुनः वैध कराने अथवा ऐसे वारंट के बदले डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान करने के लिए लिखें।

17. कंपनी अधिनियम, 2013 और निदेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन लेखापरीक्षा, अंतरण एवं अदायगी) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी के पास पड़ी बिना भुगतान की और अदावाकृत राशि के अपेक्षित ब्यौरे कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.nic.in) और कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इसके अलावा, धनराशि एवं शेयरों के निवेशक–वार ब्यौरे, जो पहले ही कंपनी द्वारा आईईपीएफ में अंतरित कर दिए गए हैं, कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.recindia.nic.in पर उपलब्ध हैं।

    इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अदावाकृत अंतिम लाभांश और वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए दावा न किए गए अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार क्रमशः अक्तूबर, 2021 और मार्च, 2022 में आईईपीएफ को हस्तांतरण के लिए देय होंगे।

18. कंपनी में अपनी शेयर धारिता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अधीनय था अनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमावली, 2014 में यथा निर्धारित प्रपत्र एसएच–13 में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए) को लिखें। खाली नामांकन प्रपत्र कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in परउपलब्ध है। यदि शेयरों को डिमैटीरियलाइज्ड रूप में रखा जाता है तो नामांकन प्रपत्र को संबंधित डीपी को सीधे भेजा जा सकता है।

19. निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (के एमपी) के रजिस्टर तथा उनकी शेयर धारिता का रख–रखाव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत किया जाता है। अनुबंधों का रजिस्टर और व्यवस्थाएं, जिसमें निदेशक रुचि रखते हों, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत उनका रख–रखाव किया जाता है और नोटिस में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज इस नोटिस के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख अर्थात 24 सितंबर, 2021 तक सदस्यों द्वारा बिना शुल्क के इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। इन दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी को complianceofficer@recl.in पर ई–मेल भेजें।

20. इस बैठक की कार्यवाही की किसी मद के संबंध में कोई भी सूचना चाहने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई–मेल पता, मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए ई–मेल एजीएम की तारीख से कम से कम सात दिनों पहले complianceofficer@recl.in पर भेजें और इसका कंपनी द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।

21. संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक में इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग समाप्त होने पर इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से बैठक में दिए गए वोटों का आकलन करेंगे और उसके बाद रिमोट ई–वोटिंग के जरिए दिए गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और एक समेकित संवीक्षा की रिपोर्ट तैयार करके उसे बैठक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

22. वोटिंग का परिणाम, जिसमें संकल्प के पक्ष में या विपक्ष में डाले गए वोटों की संख्या, अमान्य वोटों की संख्या और संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ यह बताया जाएगा कि क्या संकल्प पारित हुए अथवा नहीं, उन्हें कंपनी की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर और एनएसडीएल की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर अपलोड किया जाएगा और निर्धारित समय के भीतर आरईसी लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी निर्धारित समय के भीतर भेजा जाएगा। इसके अलावा, यदि संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित किए गए हैं तो उन्हें 52वीं एजीएम की तारीख को पारित माना जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विवरण

निम्नलिखित विवरणों में सूचना में निर्धारित विशेष कारोबारों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं।

मद संख्या 5

कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका एवं आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 तथा कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमावली, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी तब तक अपनी प्रतिभूतियों का प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करेगी जब तक प्रतिभूतियों की प्रस्तावित पेशकश अथवा प्रतिभूतियों में अंशदान करने का आमंत्रण पहले से प्रत्येक पेशकश अथवा आमंत्रण के लिए एक विशेष संकल्प द्वारा कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो। तथापि, "गैर–परिवर्तनीय डिबेंचरों" के लिए पेशकश अथवा आमंत्रण के मामले में वह पर्याप्त होगा यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचरों के लिए सभी प्रस्तावित पेशकश (पेशकशों) अथवा आमंत्रण (आमंत्रणों) के लिए वर्ष में केवल एक बार पूर्व विशेष संकल्प पारित करती है।

अतः, एक विशेष संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है ताकि कंपनी इस संकल्प को पारित करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थात 23 सितंबर, 2022 तक एक या दो भागों में ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों, जो कंपनी के बांड/डिबेंचरधारक हों अथवा न हों, समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत, जो भी समय–समय पर कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया, को एक या दो भागों में 85,000 करोड़ रुपए तक प्रतिभूतिरहित/प्रतिभूति सहित गैर–परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निधियां जुटा सकें। इसके अलावा, इस एजीएम में कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तावित 85,000 करोड़ रुपये की उक्त सीमा समग्र संशोधित उधार सीमा के भीतर होगी।

इसके अतिरिक्त, कंपनी का निदेशक बोर्ड ("बोर्ड") अथवा बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी समिति अथवा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये गये किसी अन्य प्राधिकारी को उन निवेशकों की श्रेणी जिन्हें बांड/डिबेंचर आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक भाग में आबंटित किए जाने वाले बांडों/डिबेंचरों की संख्या, इश्यू कीमत, टेनर, ब्याज दर, तत्कालीन विद्यमान बाजार कीमत में किश्त/छूट, इश्यू की धनराशि, बांड/डिबेंचरधारकों की श्रेणी में इश्यू कीमत पर छूट, सूचीयन, प्राइवेट प्लेसमेंट के प्रस्ताव पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित कोई घोषणा/वचनबद्धता आदि जारी करने सहित इश्यू की शर्तें निर्धारित करने के लिए और उस समय लागू किसी अन्य विनियामक अपेक्षा के तहत उन सभी कार्यों/विलेखों/बातों को करने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

मैमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा सभी संगत दस्तावेज इस नोटिस के परिचालित होने की तारीख से एजीएम की तारीख तक इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

कार्य की अपरिहार्य प्रकृति पर विचार करते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल ने 5 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में दिए गए अनुसार प्रस्तावित संकल्पों को पारित करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस की मद संख्या 5 में निर्धारित विशेष संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशक मंडल या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में उनके शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त विशेष संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित नहीं हैं या रुचि नहीं रखते हैं।

मद संख्या 6

आरईसी लिमिटेड के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) के कार्य खंड को अंतिम बार वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था। तब से, देश में विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य में नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण, नवीन एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे ई–वाहनों और संबद्ध चार्जिंग अवसंरचना, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, ऊर्जा दक्षता, पारेषण में दक्षता और वितरण क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण पर बढ़े हुए जोर के साथ भारी परिवर्तन हुए हैं। परिणामस्वरूप, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य एनबीएफसी से बढ़ती प्रतिस्पर्धा से, विद्युत क्षेत्र में व्यापार के नए अवसर उभर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, एसोसिएशन ऑफ मैमोरेंडम के कार्य खंड को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाना है जैसे (i) जिन कार्यों के लिए कंपनी की स्थापना की गई है और (ii) उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले मामले।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार आरईसी के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड के अनुरूप चलने के लिए और कंपनी को विद्युत क्षेत्र में उभरते व्यापारिक अवसरों का दोहन करने और व्यवसाय के नए क्षेत्रों में संभावनाओं का पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए, कंपनी के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के शेयरधारक डाक मतपत्र के माध्यम से एक विशेष प्रस्ताव पारित करके और सांविधिक प्रावधानों का पालन करने के बाद, इसके मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कार्यों में परिवर्तन करें। तथापि, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 9 फरवरी, 2018 की अधिसूचना द्वारा अन्य बातों के साथ–साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 में संशोधन किया और निर्धारित किया कि डाक मतपत्र के माध्यम से लेन–देन करने के लिए आवश्यक व्यापार की किसी भी मद पर कंपनी द्वारा एक आम बैठक में कार्य किया जा सकता है, जो धारा 108 के तहत सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, आरईसी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आम बैठक में प्रस्तावों पर मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है। तदनुसार, कंपनी के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड में परिवर्तन के लिए विशेष प्रस्ताव को इस वार्षिक आम बैठक में पारित करने का प्रस्ताव है।

आरईसी के प्रशासनिक मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 24 मार्च, 2021 के पत्र द्वारा कंपनी के मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कार्य खंड को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, संशोधित उद्देश्यों को अपनाने के बाद, यह परिकल्पना की गई है कि व्यापार के निम्नलिखित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाएगा, जो कंपनी को निम्नलिखित व्यापारिक अवसरों का पता लगाने में सक्षम बनाएगाः

- प्रशिक्षण सहित किसी भी परियोजना पर वित्तपोषण अथवा अध्ययन करना, अनुसंधान करना;
- विद्युत और इलेक्ट्रोमैकेनिकल/हाइड्रो सिस्टम, लिफ्ट सिंचाई की परियोजनाओं, स्मार्ट सिटी, रेलवे लाइन, हवाई अड्डा के विद्युतीकरण के संबंध में परियोजनाओं, गतिविधियों या कार्यों का वित्तपोषण करना,
- ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट ताप वसूली प्रणाली (प्रणालियों), ई–मोबिलिटी और संबद्ध अवसंरचना के लिए परियोजनाओं, गतिविधियों या कार्यों का वित्तपोषण करना;
- विद्युत क्षेत्र में अपेक्षित पूंजीगत उपस्कर (उपस्करों) के विनिर्माण/आपूर्ति के लिए यूनिटों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, प्रचालन और रखरखाव के लिए परियोजनाओं का वित्तपोषण करना;
- विद्युत परियोजनाओं के साथ अग्रवर्ती और/अथवा पिछड़े लिंकेज वाली गतिविधियों और रेलवे लाइन बिछाने, सड़कों, पुलों, बंदरगाह, जेट्टी, हार्बर, हवाई अड्डे, गैस पाइपलाइन, गैस टर्मिनल के विकास के लिए क्रियाकलापों का वित्तपोषण करना;
- विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण अथवा आपूर्ति से संबंधित परियोजनाओं, गतिविधियों अथवा कार्यों का निष्पादन; तथा
- कंपनी के व्यापारिक हित में किसी भी कंपनी को वित्तपोषित/संवर्धित करना।

कंपनी के प्रस्तावित एमओए की एक प्रति वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.recindia.nic.in पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

कार्य की अपरिहार्य प्रकृति पर विचार करते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल ने 5 अगस्त, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा इस नोटिस में दिए गए अनुसार प्रस्तावित विशेष संकल्पों को पारित करने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस नोटिस की मद संख्या 6 में लिखित विशेष संकल्प के संबंध में अपनी सहमति प्रदान करें।

निदेशक मंडल या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी कंपनी में उनके शेयरधारण की सीमा के सिवाय उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित नहीं हैं या रुचि नहीं रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते आरईसी लिमिटेड

जे. एस. अमिताभ
कार्यपालक निदेशक और कंपनी सचिव

स्थान : कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
दिनांक : 27 अगस्त, 2021

52वीं वार्षिक आम बैठक में पुनः नियुक्ति के इच्छुक निदेशक (कों) का संक्षिप्त विवरण

नाम	श्री प्रवीण कुमार सिंह
डीआईएन	03548218
जन्मतिथि	20 जनवरी, 1962
नियुक्ति की तारीख	18 जून, 2019
योग्यता	इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी. टेक ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन में एम. टेक ग्लोबल एनर्जी एमबीए प्रोग्राम
विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री प्रवीण कुमार सिंह ने 25 वर्षों से अधिक समय तक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) में परियोजना प्रभाग की विभिन्न यूनिटों में कार्य किया है। इससे पहले, उन्होंने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) और उद्योग निकाय यथा भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) में 9 से अधिक वर्षों तक कार्य किया। वह भारत सरकार की विभिन्न समितियों में पीएफसी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वह पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड के बोर्ड और यूएमपीपी के कार्यान्वयन के लिए बनाए गए एसपीवी में निदेशक भी हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पीएफसी में आरटीआई प्रयोजनों के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी कार्य किया।
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक पद	1. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 2. कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड। 3. साक्षीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड। 4. झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड। 5. घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड। 6. पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड। 7. ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड।
आरईसी से भिन्न सभी सरकारी कंपनियों में समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	–लेखा परीक्षा समिति, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सदस्य) –नामांकन और पारिश्रमिक समिति, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सदस्य) –कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सदस्य) –हितधारक संबंध समिति, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सदस्य) –जोखिम प्रबंधन समिति, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अध्यक्ष)
निदेशकों के साथ आपसी संबंध	आपका कंपनी के किसी निदेशक के साथ आपसी संबंध नहीं है।
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रत्येक ₹10/– के 40 (चालीस) इक्विटी शेयर

रिमोट ई–वोटिंग, 52वीं एजीएम में वीसी/ओएवीएम के जरिए भाग लेने और एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए अनुदेश

क. 52वीं एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग प्रणाली के लिए अनुदेश

रिमोट ई–वोटिग की अवधि **21 सितंबर, 2021, मंगलवार (10:00 बजे) से शुरू होकर 23 सितंबर, 2021, गुरूवार (1700 बजे)** तक होगी। बाद में वोटिंग के बाद रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। सदस्य/लाभार्थी स्वामी जिनके नाम अंतिम तारीख अर्थात 17 सितंबर, 2021 को सदस्यों के रजिस्टर में हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं और शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार उक्त अंतिम तारीख को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होगा।

एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली पर इलैक्ट्रॉनिकल रूप से वोट करने के लिए, दो चरण की प्रक्रिया अपनाए जाने की जरूरत है, जो इस प्रकार हैः

चरण–1ः एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली तक पहुँच

क) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन विधिः –

ई–वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए डीमैट खाते के माध्यम से मत देने की अनुमति है। शेयरधारकों को यह सलाह दी जाती है कि ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

(i) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई हैः

शेयरधारकों के प्रकार	लॉग–इन पद्धति
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा आईडीईएएस उपयोगकर्ता एनएसडीएल की ई–सेवा वेबसाइट https://eservices.nsdl.com पर या तो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर जा सकते हैं। ई–सर्विसेज होम पेज पर "लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें, जो 'आईडीईएएस' सेक्शन के तहत उपलब्ध है, यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप मूल्यवर्धित सेवाओं के तहत ई–वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई–वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई–वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई–वोटिंग पेज देख पाएंगे। कंपनी के नाम अथवा ई–वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि आप आईडीईएएस ई–सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। "आडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" चुनें अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलेंः https://www.evoting.nsdl.com ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज शुरू होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर दर्शाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई–वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम अथवा ई–वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा। 4. निर्बाध मतदान अनुभव के लिए शेयरधारक/सदस्य एनएसडीएल मोबाइल एप की सुविधा "एनएसडीएल स्पीडी को" एप स्टोर या गूगल प्ले, जैसा भी मामला हो, से डाउनलोड कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईजी/ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई–वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/ईजीएस्ट में लॉगिन करने के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा www.cdslindia.com हैं और न्यू सिस्टम माईईजी पर क्लिक करें। 2. ईजी/ईजीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई–वोटिंग मैन्यू भी देख सकेगा। मैन्यू में ई–वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें। 3. यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई–वोटिंग पेज तक पहुंच सकते हैं। यह सिस्टम पंजीकृत मोबाइल और ईमेल, जैसा कि डीमैट खाते में दर्ज है, पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी अर्थात एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई–वोटिंग चल रही है।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतिधारक) अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई–वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई–वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम अथवा ई–वोटिंग सेवाप्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अथवा वर्चुअल बैठक में शामिल होने और बैठक के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित कर दिया जाएगा।

टिप्पणीः जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्याओं के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉग–इन प्रकार	हेल्पडेस्क के ब्यौरे
एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	जिन सदस्यों के सामने लॉगिन में कोई भी तकनीकी समस्या आए, वे सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबरः 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	जिन सदस्यों के सामने लॉगिन में कोई भी तकनीकी समस्या आए, वे सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं अथवा 022– 23058738 या 022–23058542–43 पर संपर्क कर सकते हैं।

ii) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले और वास्तविक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों (व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोड़कर) के लिए ई–वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने हेतु लॉगिन पद्धति

1. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें: https://www.evoting.nsdl.com
2. जब ई–वोटिंग प्रणाली का होम पेज शुरू हो जाए तो "लॉग–इन" आइकन पर क्लिक करें जो "शेयरधारक" खंड में उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा, जैसाकि स्क्रीन पर दर्शाया गया है।
   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई–सर्विसेज अर्थात आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपने विद्यमान आईडीईएएस लॉग–इन के साथ https://eservices.nsdl.com/पर लॉग–इन कर सकते हैं। जब आप अपने लॉग–इन प्रमाणों का प्रयोग करने के बाद एनएसडीएल ई–सर्विसेज में लॉग–इन कर लेते हैं, तो ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण–2 में जा सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रोनिक रूप में अपना मत दें।
4. एनएसडीएल ई–वोटिंग पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का ब्यौरा दे सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड नीचे दिए गए हैं:–

शेयर धारण करने का ढंग, अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीएसडीएल) अथवा वास्तविक	यूजर आईडी
क) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास एनएसडीएल में डीमैट खाता है	8 अक्षरों की डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों के ब्यौरा की ग्राहक आईडी उदाहरण के लिएः यदि आपके डीपी आईडी आईएन300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है तो फिर आपका यूजर आईडी आईएन300***12****** है।
ख) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास सीडीएसएल में डीमैट खाता है	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिएः यदि आपका लाभार्थी आईडी 12************** है तो फिर आपका यूजर आईडी 12************** है।
ग) ऐसे सदस्यों के लिए, जिनके पास वास्तविक रूप में शेयर हैं	ईवीईएन संख्या के बाद कंपनी में पंजीकृत फोलियो संख्या उदाहरण के लिए यदि फोलियो नं. 001*** है और ईवीईएन 101456 है तो फिर यूजर आईडी 101456001*** है।

5. **व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोड़कर अन्य शेयरधारकों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:**

   क. यदि आप पहले से ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो फिर आप लॉग–इन करने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और अपना मत दे सकते हैं।

   ख. यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" लेने की आवश्यकता होगी जो आपको बताया गया था। जब आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" ले लेते हैं तो आपको "आरंभिक पासवर्ड" प्रविष्ट करने की आवश्यकता होती है और सिस्टम आपको आपका पासवर्ड बदलने के लिए जोर देगा।

   ग. "आरंभिक पासवर्ड" कैसे लेना है:

   (i) यदि आपका ई–मेल आईडी आपके डीमैट खाते अथवा कंपनी में पंजीकृत है, तो आपका "आरंभिक पासवर्ड" आपको आपकी ई–मेल आईडी पर सूचित किया जाता है। एनएसडीएल से आपको भेजे गए ई–मेल को अपने मेल बॉक्स में खोजें। ई–मेल खोलें और संलग्न "पीडीएफ" फाइल खोलें। "पीडीएफ" फाइल खोलने के लिए एनएसडीएल खाते के लिए पासवर्ड आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी है, सीएसडीएल खाते के लिए ग्राहक आईडी अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नं. है। "पीडीएफ" फाइल में आपका "यूजर आईडी" तथा "आरंभिक पासवर्ड" है।

   (ii) यदि आपका ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया नोटिस की बिन्दु संख्या 5 में दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

6. यदि आप अपना "आरंभिक पासवर्ड" हासिल करने में असक्षम हैं अथवा प्राप्त नहीं हुआ है अथवा अपना पासवर्ड भूल गए हैं:
   क. यदि आपके एनएसडीएल अथवा सीएसडीएल में आपके डीमैट खाते में शेयर हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर "यूजर ब्यौरा/पासवर्ड भूल गए" विकल्प पर क्लिक करें।
   ख. यदि आपके शेयर भौतिक स्वरूप में हैं, तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "फिजिकल यूजर रीसैट पासवर्ड" पर क्लिक करें।
   ग. यदि आप उपर्युक्त दो विकल्पों से भी पासवर्ड लेने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नं., पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।
   घ. सदस्य एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉग–इन का भी प्रयोग कर सकते हैं।
7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "निबंधन एवं शर्तों" से सहमत हूँ, पर निशान लगाएं।
8. अब, आपको "लॉग–इन" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "लॉग–इन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई–वोटिंग का होम पेज खुलेगा।

चरण–2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में शामिल हों

1. चरण 1 में सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को "ईवीईएन" देख पाएंगे, जिनमें आपके शेयर हैं और जिनका मतदान चक्र एवं सामान्य बैठक सक्रिय स्तर पर है।
2. जिस कंपनी के लिए आप रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना मतदान करना चाहते हैं और आम बैठक के दौरान अपना मतदान करना चाहते हैं, उसका "ईवीईएन" चुनें। वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए, आपको "ज्वॉइन जनरल मीटिंग" के तहत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. अब आप मतदान पृष्ठ खुलने पर ई–वोटिंग करने के लिए तैयार हैं।
4. उपयुक्त विकल्प अर्थात एसेंट अथवा डिसेंट का चयन कर अपना मतदान करें, शेयरों की संख्या सत्यापित करें/संशोधित करें जिसके लिए आप अपना मतदान करना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक करें तथा संकेत मिलने पर "कन्फर्म" भी करें।
5. पुष्टि होने पर, "सफलतापूर्वक मतदान" का संदेश दिखाई देगा।
6. आप संपुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक कर आपके द्वारा दिए गए मतों का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
7. जब आप संकल्प पर अपने मत की पुष्टि कर दें, तो आपको अपने मत में संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

यदि कोई प्रश्न हो तो आप शेयरधारकों के लिए बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैनुअल www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है अथवा टोल फ्री नं.: 1800–1020–990 अथवा 1800–22–44–30 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध करें अथवा श्री अमित विशाल, वरिष्ठ प्रबंधक अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि., ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोवर परेल, मुंबई–400 013 को ई–मेल आईडी: evoting@nsdl.co.in अथवा amitv@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर भेजें। सदस्य कंपनी सचिव को कंपनी के ई–मेल पते complianceofficer@recl.in पर भी लिख सकते हैं।

ख. 52वीं एजीएम में वीसीध्ओएवीएम के जरिए भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं:

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य उसे रिमोट ई–वोटिंग प्रमाणों का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्यों के लॉग इन के तहत http://www.evoting.nsdl.com पर प्राप्त कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारकों/सदस्यों के लॉग इन पर उपलब्ध होगा, जहां पर कि कंपनी का ईवीईएन दिखाई देगा। कृपया यह नोट करें कि ऐसे सदस्य, जिनके पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं अथवा यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे उसे नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई–वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं ताकि अंतिम समय पर व्यस्तता से बचा जा सके। इसके अलावा, सदस्य एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली में लॉग इन करने के लिए ओटीपी आधारित लॉग इन का भी उपयोग कर सकते हैं।
2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. सदस्यों को कैमरे की भी अनुमति होगी और बैठक के दौरान किसी भी रुकावट से बचने के लिए अच्छी स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन उपयोग करने की अनुमति होगी।
4. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए मोबाइल उपकरणों अथवा टेबलेट अथवा लैपटॉप से कनेक्ट करने वाले प्रतिभागी को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। अतः सिफारिश की जाती है कि किसी भी प्रकार की रुकावट में कमी करने के लिए स्थिर वाईफाई अथवा एलएएन कनेक्शन का उपयोग करें।
5. ऐसे शेयरधारक, जो बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे "स्पीकर" के रूप में स्वयं को पंजीकृत करें और अपना नाम, डीमैट खाता नं./फोलियो नं., ई–मेल पता, मोबाइल नं. का उल्लेख करते हुए बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले complianceofficer@recl.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं। ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने स्वयं को एक स्पीकर के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

ग. 52वीं एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश

1. एक बार नोटिस की सभी मदों पर बैठक में चर्चा पूरी हो जाने पर, प्रत्येक संकल्प को एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान के लिए रखा जाएगा। कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे संवीक्षक को ई–मेल scrutinizer.recl@gmail.com पर बोर्ड के संकल्प/प्राधिकारी पत्र की एक प्रमाणित प्रति भेजें और उसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in पर भी भेजें।
2. एजीएम के दिन ई–वोटिंग के लिए प्रक्रिया रिमोट ई–वोटिंग हेतु उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार ही होगी।
3. केवल ऐसे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के जरिए संकल्पों पर अपने मत नहीं दिए हैं और जो ऐसा करने के लिए अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, वे एजीएम के दौरान इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान के लिए पात्र होंगे।
4. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के जरिए मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। तथापि, वे एजीएम के दौरान मतदान देने के लिए पात्र नहीं होंगे।
5. ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरे, जिनसे एजीएम के दिन ई–वोटिंग के लिए सुविधा से जुड़ी किसी शिकायत के लिए सम्पर्क कर सकते हैं, वह वही व्यक्ति होगा, जो रिमोट ई–वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित किया गया है।